रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/का.व प्रशा./भर्ती/ स्था./ कामगार/ 2025/1

दिनांक 26 मई 2025

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न अनुसूची 'ए' कंपनी, **सीएसएल, कोच्ची में कामगार श्रेणी** के निम्नलिखित पदों को भरने हेतु पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है:-

क. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव:

तालिका 1

पदों का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
फायरमैन	**अनिवार्य**: क) एसएसएलसी उत्तीर्ण। ख) (i) राज्य अग्निशमन बल या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से अग्निशमन में प्रशिक्षण या (ii) सशस्त्र बलों में मान्यता प्राप्त अग्निशमन पाठ्यक्रम या (iii) राज्य अग्निशमन बल से अग्नि निगरानी/गश्ती का प्रशिक्षण। ग) सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन/ मान्यता प्राप्त संस्थानों से वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाणपत्र। **वांछनीय:** मलयालम में ज्ञान।	क) ख (i) और ख (ii) में शैक्षिक योग्यता रखने वालों के लिए राज्य अग्निशमन बल या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सशस्त्र बलों में एक वर्ष का अनुभव। या ख) जिनके पास ख(iii)में शैक्षिक योग्यता है राज्य अग्निशमन बल या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सशस्त्र बलों में फायर वॉचमैन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
अर्ध कुशल रिग्गर	चौथी कक्षा उत्तीर्ण।	योग्यता के बाद पोत निर्माण / पोत मरम्मत यार्ड / इंजीनियरिंग कंपनी में भारी मशीन भागों की रिगिंग, मशीनरी / उपकरण आदि के निर्माण में सहायता करने में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।

पदों का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
		वांछनीय: तार रस्सियों के जोड़ने के कार्य का अच्छा ज्ञान।
सीएसएल अतिथिगृह केलिए रसोइया	**अनिवार्य:** सातवीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय:** अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम में अच्छा संचार कौशल।	सभी प्रकार के भोजन - ओरिएंटल/कॉन्टिनेंटल; शाकाहारी और मांसाहारी; चीनी आदि को पकाने में रसोइया के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव • सरकारी या पीएसयू गेस्ट हाउस या • सशस्त्र बलों के मेस या • 3 स्टार होटल या • फैक्ट्री कैंटीन या • राज्य पुलिस या • लाइसेंस प्राप्त खाद्य खानपान सेवा एजेंसी ।

ख. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरूआत : 28 मई 2025
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 20 जून 2025

ग. वेतनमान, रिक्तियों की संख्या और आरक्षण:

तालिका 2

वेतनमान	पद*	अनारक्षित	अपिव	अ.जा.	ईडब्ल्यूएस	कुल
डब्ल्यू 5	फायरमैन	7	5	2	1	15
डब्ल्यू 5	अर्ध कुशल रिग्गर	8	1	-	-	9
डब्ल्यू 5	रसोईया	1	-	-	-	1

क) रिक्तियों की संख्या बढाने /घटाने या किसी भी रिक्तियों को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता के अनुसार रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है ।

ख) सीएसएल खतरनाक कार्यों में लगा हुआ है। इस कार्य के लिए पीडब्ल्यूबीडी की तैनाती से उन्हें और अन्य लोगों को गंभीर खतरा होने की संभावना है। इसलिए पीडब्ल्यूबीडी फायरमैन और अर्ध कुशल रिग्गर के पदों के लिए आवेदन नहीं करेंगे। सीएसएल अतिथिगृह के लिए रसोइया को अतिथिगृह के

सुचारू संचालन के लिए उसे सौंपे गए कर्तव्यों को अकेले ही पूरा करना होता है, इसलिए उसे पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

घ. वेतनमान, लाभ व तैनाती का स्थान

क) ग्रेड और वेतनमान :-

तालिका 3

ग्रेड	वेतनमान
डब्ल्यू 5	₹ 21300 - 69840

ख) तिथि के अनुसार मासिक परिलब्धियां :-

तालिका 4

वेतनमान	वेतन प्रकार					कुल
	मूल वेतन	महंगाई भत्ता (वर्तमान में 48.7%)	मकान किराया भत्ता (वर्तमान में 18%)	वाहन भत्ता	कार्य पोशाक रखरखाव भत्ता	
डब्ल्यू 5	₹ 21,300	₹ 10,373	₹ 3,834	₹ 2,400	₹ 500	₹ 38,407

ग) अन्य लाभों में सीएसएल के नियमों के अनुसार नई पेंशन योजना (एनपीएस), अंशदायी भविष्य निधि, अनुदान, दुर्घटना बीमा कवरेज, चिकित्सा सहायता योजना, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सहायता योजना, अर्जित अवकाश नकदीकरण आदि शामिल हैं।

घ) तैनाती सीएसएल / कोई अन्य सीएसएल यूनिट/ अन्य परियोजना स्थलों पर होगी। हालांकि, परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवारों को सीएसएल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

ङ. आयु :

क) पदों के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 20 जून 2025 तक 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात आवेदकों का जन्म 21 जून 1985 को या उसके बाद होना चाहिए।

ख) अ.पि.व. (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है तथा उनके लिए आरक्षित पदों पर अ.जा. उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट है।

ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी, जिसकी गणना वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाकर तथा उसमें तीन वर्ष जोड़कर की जाएगी, जो अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।

च. चयन की रीति:

क) चयन की रीति में **चरण I -** वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और **चरण II -** प्रायोगिक परीक्षा शामिल होगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

तालिका 5

चयन की रीति व अंक
चरण I - वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा – **30 अंक (35 मिनट की अवधि)** **चरण II -** प्रायोगिक परीक्षा - **70 अंक** (प्रायोगिक परीक्षाओं में प्राप्त ग्रेड के आधार पर)** **कुल -100 अंक**

** जिन पदों पर आवेदकों की संख्या अधिक है, वहां प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन ग्रेड में किया जा सकता है, जिसे अंतिम चयन के लिए अंकों में परिवर्तित किया जाएगा।

ख) **चरण I, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में दो भाग होंगे- सामान्य (भाग क) और ट्रेड/विषय से संबंधित (भाग ख)।** भाग क में सामान्य ज्ञान और मात्रात्मक योग्यता शामिल है। प्रश्न पत्र का पैटर्न, प्रश्नों की संख्या और अंकों का आवंटन नीचे विस्तार से दिया गया है:

तालिका 6

प्रत्येक अनुभाग में प्रश्नों की संख्या/अनुभाग के अनुसार अंक *			वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए प्रश्नों की कुल संख्या / अधिकतम अंक
सामान्य ज्ञान	मात्रात्मक योग्यता	ट्रेड/विषय से संबंधित	
5	5	20	30

* प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा।

ग) चयन प्रक्रिया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची या कोच्ची/केरल में किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी, जैसा कि सीएसएल अपने विवेकाधिकार से तय करेगा।

घ) पदों के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सीएसएल द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए, सीएसएल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को बुलाएगा, ताकि योग्यता/आरक्षण के क्रम में एक पद के लिए न्यूनतम 6 उम्मीदवारों के अनुपात में उम्मीदवार मिल सकें।

ङ) प्रमाणपत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को चरण-II प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए चुना जाएगा।

च) प्रमाणपत्र सत्यापन के बाद, चरण II पात्र उम्मीदवारों के साथ आयोजित किया जाएगा, भले ही यह सीएसएल द्वारा तय किए गए 1:6 अनुपात से कम हो।

छ) चयन परीक्षाओं केलिए विस्तृत पाठ्यक्रम **अनुलग्नक 1** में दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि दिया गया पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है तथा संपूर्ण नहीं है।

ज) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल पद केलिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों को लघुसूची तैयार करने का अधिकार है, केवल ऐसे लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

झ) पदों केलिए रैंक सूची अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों और चरण I - वस्तुनिष्ठ और चरण II - प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान कुल अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के ट्रेड/ शाखा भाग में प्राप्त अंक रैंक सूची के क्रम को निर्धारित करने का आधार होंगे। उसके बाद टाई होने की स्थिति में, उम्र में वरिष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता तय की जाएगी।

छ. <u>शर्तें:</u>

(क) <u>आरक्षण :</u>

(i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।

(ii) यदि आवेदक अनुसूचित जाति (अ.जा.) या अ.पि.व (गैर क्रीमी लेयर) का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में एक *वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र* प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों केलिए लागू रियायतों / छूटों केलिए विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा :- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।

(क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और

(i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

(ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

(iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है;

(ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

(ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनीमूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित ; या

(घ) कार्मिक, जो अप्रैल14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

(ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता ; या

(च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।

(ख) <u>योग्यता</u>

(i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण से द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

(ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी आवेदकों को पदों केलिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है । कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का

प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने केलिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है।

(ग) <u>अनुभव</u>

(i) **उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 20 जून 2025 से की जाएगी।**

(ii) **फायरमैन और अर्ध कुशल रिग्गर के पदों केलिए, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों या समकक्ष स्थिति की विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्रों पर ही लघुसूचीगत और चयन हेतु विचार किया जाएगा।**

(iii) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी **नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।** <u>प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने केलिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन केलिए विचार नहीं किया जाएगा।</u>

(iv) **पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगे ठेकेदारों (स्वामित्व वाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर माना जा सकता है। ऐसे आवेदकों को ईएसआई/इपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणों के साथ अपने अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(v) नियमित सरकारी सेवा में कार्यरत या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या अन्य समान संगठनों में कार्यरत आवेदक सीधे सीएसएल को अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे आवेदकों को एक घोषणापत्र (**अनुलग्नक-II के अनुसार**) अपलोड करना आवश्यक है कि उन्होंने अपने नियोक्ता को लिखित रूप से सूचित कर दिया है कि उन्होंने सीएसएल द्वारा अधिसूचित पद के लिए

आवेदन किया है। यदि नियोक्ता की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) सभी आवेदकों को **सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश** प्रस्तुत करना चाहिए। जिन आवेदकों के सेवामुक्ति प्रमाणपत्र / बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित ट्रेड/ शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए । सेवा अवधि के दौरान अर्जित की गई ऐसी योग्यता को भी योग्यता-पश्चात अनुभव की गणना के लिए माना जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले आवेदकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित ट्रेड/ विषय में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए । उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(vii) वे भूतपूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक के रूप में उन्हें दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद सिविल पक्ष में किसी भी सरकारी नौकरी में पुनः नियोजित होते हैं, सरकार में पुनः नियोजित होने के उद्देश्य से उनकी भूतपूर्व सैनिक स्थिति डीओपीटी के दिनांक 02.05.1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/27/84-स्था.(एससीटी), दिनांक 02.04.1992 के 36034/6/90-स्था.(एससीटी) और दिनांक 14.08.2014 के 36034/1/2014-स्था.(एससीटी) द्वारा शासित होगी। **सभी भूतपूर्व सैनिकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ इस आशय का एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी चाहिए कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए लाभ (अनुलग्नक III के अनुसार) प्राप्त करने के बाद उन्हें सरकार में पुनः नियोजित नहीं किया गया है।**

(viii) **जो कर्मचारी वर्तमान में सीएसएल/सीएसएल की किसी अन्य इकाई में नियमित रोल पर काम कर रहे हैं, वे सीएसएल द्वारा अधिसूचित समान वेतनमान पर समान पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

(ix) आवेदकों को किए कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति, संबंधित कार्यों में संभाले गए दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पद केलिए उनके ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र को प्रस्तुति के समय संलग्न करना चाहिए ।

(घ) आवेदन शुल्क:

i) **ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वालैट आदि) का उपयोग करके ₹ 400/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए,** जिसे

दिनांक 28 मई 2025 से 20 जून 2025 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। **भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

ii) **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।** उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को छोडकर, उपरोक्त में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

(ङ) आवेदन कैसे करें

i) **आवेदकों को वेबसाइट** www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) पर जाकर** ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले **लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू** को पढना चाहिए। आवेदन के दो चरण होते हैं – **एक बार पंजीकरण और लागू पद केलिए आवेदन प्रस्तुत करना।** आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।

ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक **एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण** कर सकते हैं और **आवेदन प्रस्तुत** कर सकते हैं। अपना आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से दिनांक 28 मई 2025 से 20 जून 2025 तक** प्राप्त की जा सकती है। **सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाण पत्र तथा नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति **" प्रगति में "** के रूप में (इन प्रोसस) दिखाई जाएगी । आवेदन की प्रस्तुति के बाद ,उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति **" प्रगति में "** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है । आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

vi) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी ।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए ।

vii) ***आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है ।***

viii) वेबसाइट **दिनांक 28 मई 2025** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **20 जून 2025** है । अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। ***आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है ।***

(च) सामान्य

i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**

ii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.inके ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल द्वारा किसी अन्य चरण में सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

iv) <u>वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा केलिए भाग लेने वाले उम्मीदवारों केलिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।</u> फिर भी, सीएसएल में प्रमाण पत्र सत्यापन या प्रायोगिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को कंपनी के नियमों के अनुसार पदों के लिए स्वीकार्य स्लीपर क्लास रेल/बस किराया उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित डाक पते से प्रमाण पत्र सत्यापन स्थल तक सबसे छोटे मार्ग से प्रमाण प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा पूतिपूर्ति का दावा करनेवाले उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र सत्यापन के समय **खाता संख्या और आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक पासबुक** के पहले पृष्ठ प्रति जमा करनी होगी और पूतिपूर्ति की पात्र राशि एनईएफटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी । यात्रा किराए की पूतिपूर्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों को की जाएगी जो उपरोक्त विवरण प्रस्तुत करेंगे । हालांकि, प्रमाणपत्र सत्यापन के समय, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार किसी भी अधिसूचित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे न तो चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और न ही किसी यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

v) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

vi) **<u>पद केलिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।</u>** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई-मेल/ सीएसएल वेबसाइट **www.cochinshipyard.in** के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी ।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची) को बार- बार देखें।

vii) केवल आवेदन जमा करने, बुलावा पत्र जारी करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

viii) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा यदि लागू हो तो जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन होगी।

ix) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

x) चयनित उम्मीदवार को सीएसएल नीति का अनुपालन करने तथा कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन का उपयोग न करने का वचन देना होगा।

xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और रैंक सूची की वैधता अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से, या उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी होने तक। रैंक सूची केवल तभी संचालित की जा सकती है जब कोई रिक्ति या तो रैंक सूची से शामिल होने के लिए सलाह दिए गए उम्मीदवार के शामिल न होने के कारण या सीएसएल के विवेक पर रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में अलग होने के कारण उत्पन्न होती है।

xiii) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और काम की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

xiv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

xv) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

xvi) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/

न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

xvii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

xviii) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"

"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)